संख्या-46/2022/319/24-1-22-1193/2008

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से पारेषण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-53 एफएम/एफ-1/ट्रांस्को/बजट/399/2020, दिनांक 14 फरवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-10-पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु पारेषण निगम को अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 566,86,68,000/- (रूपये पॉच सौ छांछठ करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 242,73,36,000/- (रूपये दो सौ बयालिस करोड़ तिहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए धनराशि रूपये 242,73,36,000/- (रूपये दो सौ बयालिस करोड़ तिहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-07-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण'' में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया गया हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इसका समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाये।

3- प्रस्तर-3 में अंकित व्यवस्था का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2021-22 में वितरण कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को अंशपूँजी के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष डिस्कॉमवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के समस्त वास्तविक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण अलग-अलग से सभी डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों से प्राप्त कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा और जहॉ पर कार्य कराया गया है, उनके स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज / लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पडे हो।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-07-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3468-दस-2021-22, दिनांक 24 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-46/2022/319(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in